FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

बजे अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराई (अजमेर)

- कानी देवी पत्नी सूजा उम्र 85 साल जाति जाट निवासी ग्राम मोतीपुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राज0।

–प्रार्थीगण

बनाम

- उमराव पुत्र मूला जाति जाट निवासी ग्राम मोतीपुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान अन्य।

–अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 111,128 भू0राज0अधि0 1956

नंबर 54/2024

ऑनलाइन नंबर 2024/...........

वकील प्रार्थी :– रामदेव गुर्जर

वकील अप्रार्थीगण..........................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
04/7/24	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर ने अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज. अधि. 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 12.07.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
	12/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/8/24 को पेश हो।	
23/8/24	पत्रावली पेश हुई आज ...[illegible]... ...[illegible]... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/9/24 को पेश हो।	
27/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 8/11/24 को पेश हो।	

नंबर व तारीख अहकाम
अहकाम
जारी हुए

25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। प्रतिवादीगण 1 लगायत 20 के तामीलशुदा सम्मन नोटिस प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 19 अनु०। पत्रावली इन्तजार जवाब हेतु दिनांक 29/8/25 को पेश हो।

29/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. अवकाश/अन्य कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर रहे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार .... दिनांक 12/9/25 को पेश हो।

12/9/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। प्रतिवादीगण 1 लगायत 19 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 10/10/25 को पेश हो।

राजस्व मानचित्र अनुसार पक्षकारों के आदेश पर कोई आपत्ति नहीं है। TD...

10/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। पत्रावली वास्ते अंतिम बहस हेतु दिनांक 26/11/25 को पेश हो।

26/11/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। बहस सुनी गई। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। पत्रावली में निर्णय पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] हो।

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, अंराई (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना संख्या 54/2024

1. कानी देवी पत्नि सुजा उम्र करीबन 85 वर्ष
2. कालुराम पुत्र रामकन उम्र करीबन 30 वर्ष
3. धन्ना पुत्र रामकन उम्र करीबन 25 वर्ष
4. लाला पुत्र सुजा उम्र करीबन 50 वर्ष
5. सुण्डा पुत्र सुजा उम्र करीबन 65 वर्ष
6. समौत्रा पत्नि रामकन उम्र करीबन 45 वर्ष
7. सुरज्ञान पुत्री रामकन उम्र करीबन 24 वर्ष

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम मोतीपुरा तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. उमराव पुत्र मूला
2. छग्गू पत्नि भोमा
3. पांची पत्नि स्व० भूरा
4. रघुनाथ पुत्र भूरा
5. श्रवण पुत्र भूरा
6. काली पुत्री रामलाल
7. धर्मराज पुत्र बिरदा
8. नोरत पुत्र रामलाल
9. रामधन पुत्र बिरदा
10. रामी पत्नि रामलाल .
11. विश्राम पुत्र भूरा
12. शिवराज पुत्र रामलाल .
13. सीता पुत्री रामलाल .
14. किशनलाल पुत्र हरजी.
15. भूरा पुत्र छीतर.
16. रामरिख पुत्र हरजी
17. सुप्यार पत्नि उगमा

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम मोतीपुरा तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।

18. उमराव पुत्र रतना
19. लक्ष्मण पुत्र सुजा

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम मोतीपुरा तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।

20. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

WD

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 वास्ते सीमाओं की पत्थरगढ़ी करवाने बाबत्।

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र वकील श्री रामदेवी गुर्जर एडवोकेट द्वारा अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भु राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया । वकील वादी ने निवेदन किया कि संयुक्त सह–खातेदारी, कब्जे काश्त की आराजी ग्राम मोतीपुरा पटवार क्षेत्र मोतीपुरा तहसील अंराई जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 69 रकवा 0.7443 हैक्टेयर भूमि है। जिसकी चतुर्थ सीमा निम्न प्रकार से है एवं चतुर्थ सीमा में काबिज काश्त अधिकार अभिलेख में इन्द्राज खातेदारो को प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया जा रहा है।

उत्तरः– खसरा नम्बर 72 (अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 व 18, 19 की भूमि)
दक्षिणः– खसरा नम्बर 66 (गै०मु० नाडी) 67 (गै०मु०पाल)
पश्चिमः– खसरा नम्बर 63 (अप्रार्थी संख्या 1, 2, 6 लगायत 10, 12 लगायत 17 की भूमि)
पूर्वः– खसरा नम्बर 71 (अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5). खसरा नम्बर 70 (अप्रार्थी संख्या 1)

उपरोक्त सीमा मध्य स्थित कृषि भूमि उपरोक्त सीमा मध्य के स्थित है जो संलग्न नजरी नक्शा/राजस्व ट्रेस के अनुसार प्रार्थना पत्र में चतुर्थ सीमा में स्थित खातेदारान को पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थीगण संयुक्त रूप से ग्राम मोतीपुरा पटवार क्षेत्र मोतीपुरा तहसील अंराई जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 69 रकबा 0.7443 हैक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य करते आ रहे है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 द्वारा आये दिन सींव (सीमा) को लेकर विवाद करते रहते है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 एवं परिवारजन के द्वारा प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि की सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है एवं प्रार्थीगण की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है एवं सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न होते रहते है। जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 17 द्वारा आये दिन प्रार्थीगण की आराजी की मेड़, सींव, नींव को लेकर विवाद उत्पन्न करके प्रार्थीगण की आराजी में ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा हो गये। तत्पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 69 का सीमाज्ञान दिनांक 16.05.202 को करवाया गया है। जिसकी फोटो प्रति संलग्न है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 एवं उनके परिवारजन के द्वारा सीमा चिन्ह (मेड़) को हटाते हुए प्रार्थीगण की सह–खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में ब्लात अतिचार करने पर आमादा हो जाते है, जिससे प्रार्थीगण की आराजी में पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है जिससे सीमाओं का विवाद समाप्त हो सकता है एवं सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो इस कारण से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 आपस में पड़ौसी खातेदार है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 एवं उनके परिवारजन के द्वारा बिजाई, बुवाई के दिनो में प्रार्थीगण की सींव, मेड़ को उखाड़ने पर आमादा हो जाते है एवं प्रार्थीगण की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर उतारू है। जिससे प्रार्थीगण व प्रार्थीगण का परिवार काफी परेशान है। प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में अपनी स्वयं कि आराजी में चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करवाने हेतु सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र में सभी चतुर्थ सीमा में स्थित पडौसी खातेदारान की वस्तुस्थिती का वर्णन किया गया है एवं पक्षकार संयोजित किया गया है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित शर्तों कि व नियमो कि पालना करते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 पडौसी खातेदार होने से एवं अप्रार्थी संख्या 18 व 19 को अप्रार्थीगण के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है चूंकि अप्रार्थी संख्या 18 व 19 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में लगने वाले खर्च वहन करने में असमर्थता जाहीर की एवं पडौसी आराजीयात में उपरोक्त अप्रार्थीगण की भी खातेदारी भूमि होने से अप्रार्थीगण के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण दिनांक 16.05.2024 को उत्पन्न हुआ की प्रार्थीगण की आराजी का सीमाज्ञान पटवारी हल्का द्वारा किया गया परन्तु प्रार्थीगण की आराजी बाबत् सही नहीं करने से एवं प्रार्थीगण की नींव, सींव, मेड़ को लेकर विवाद करने से एवं प्रार्थीगण की आराजी में मेड़, सींव, नींव को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ एवं नींव, सींव से सम्बन्धित विवाद उत्पन्न होने से प्रार्थीगण द्वारा जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करके अधिवक्ता से सम्पर्क कर उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है तब से प्रार्थना पत्र कारण निरन्तर जारी है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है तब से कारण निरन्तर जारी है। अप्रार्थी संख्या 20, भू–धारी होने से आवश्यक पक्षकार है माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना करने से पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से निम्न प्रार्थना कि प्रार्थीगण की सह–खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम मोतीपुरा पटवार क्षेत्र मोतीपुरा तहसील अंराई के खसरा नम्बर 69 रकबा 0.7443 हैक्टेयर की नजरी नक्शा राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढ़ी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।अप्रार्थी संख्या 20 को निर्देशित किया जावे कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना त्वरित गति से की जावे, एवं माननीय न्यायालय के आदेश की पालना हेतु सम्बन्धित थानाधिकारी महोदय, को आदेशित किया जाने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

WD

प्रकरण दिनांक 02.07.2024 को दर्ज किया गया तथा नोटिश तामिल हेतु भिजवाये। 1 लगायत 20 के तामिलशुदा नोटिश दिनांक 22.06.2025 को प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली किए गए। दिनांक 12.09.2025 को तामिली के बावजुद प्रतिवादी 1 लगायत 19 अनुपस्थित रहे तथा इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 10.10.2025 को बहस सुनी गयी। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व मानचित्र अनुसार पत्थरगढी के आदेश पर कोई आपत्ति नहीं है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन व मनन किया गया। वकील वादी बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भु राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं कृषि भुमि ग्राम मोतीपुरा पटवार क्षेत्र मोतीपुरा तहसील अंराई के खसरा नम्बर 69 रकबा 0.7443 हैक्टेयर का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अराई को कमिश्नर फीस 1000/– रूपये पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/– रूपये जमा करवाने पर वे मौके पर उपस्थित होकर उक्त वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है ।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 26/10/25......को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी

अराई जिला अजमेर